आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · School Education Department

Pitrihin Kanyaon Ko Chhatravritti (Class 1 to 12, Government Schools)

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाली पितृहीन बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, ऊँची कक्षा में राशि अधिक है।

क्या मिल सकता है

छात्रवृत्ति कक्षा के अनुसार है: कक्षा 1 से 5 के लिए 350 रुपये, कक्षा 6 से 8 के लिए 400 रुपये और कक्षा 9 से 12 के लिए 450 रुपये। राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में जाती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाली पितृहीन बालिकाएँ।

मुख्य शर्तें

- छात्रवृत्ति केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है।
- बालिका पिछले साल की कक्षा में पास हुई हो।
- जिस बालिका को पहले से कोई और छात्रवृत्ति मिल रही हो, वह इसके लिए पात्र नहीं है।

आवेदन कैसे करें

1. अपने स्कूल को बताएँ कि आप यह छात्रवृत्ति चाहते हैं। आपके दिए कागजों से शिक्षक एमपी शिक्षा पोर्टल पर छात्रा की प्रोफाइल दर्ज करते हैं।
2. पात्रता के अनुसार आवेदन शिक्षा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होता है।
3. आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। अपील के लिए संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।
4. राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में आती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=5&Schemeid=391
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-pitrihin-kanya-chhatravritti/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।